न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2018

प्रार्थीगण

1. मफा
2. नारणा
3. श्रवण
4. रणछोड पिसरान वीरभाण
5. हंसा पुत्री वीरभाण
6. केसीदेवी पत्नि वीरभाण
7. अर्जून वल्द कमा जातियान कोली निवासीयान जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. मफा
2. जीवा पिसरान वीरा कौम कलबी
3. जबरसिंह पुत्र पीरसिंहजी जाति राजपूत निवासीयान जाखडी तहसील रानीवाडा
4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकिल श्री पूखराज विश्नोई।
3. राजपेराकार भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक —15.04.2021

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद जाखडी तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 88 रकबा 1.09 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने व बच्चों के विद्यालय आने जाने के लिये व कृषि कार्य के लिये जुताई का साधन, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु कोई रेकर्डेड आम रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 97 रकबा 2.30 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 3.17 हेक्टेयर में से दोनो खसरा नम्बरान की माठ पर होते हुये रेकर्डेड आम रास्ता तक जाने हेतु सबसे कम आराजी की आवश्यकता पडती है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 88 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 97 रकबा 2.30 हैक्टर आई हुई है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी के दक्षिण में ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी के पडौस में अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 98 रकबा 3.17 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 97 व अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 98 के दक्षिण दिशा में एक रेकर्डेड आम रास्ता (सीसी सड़क) स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 88 से आने—जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 97 व अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 98 में से होकर उक्त दोनों खसरा नबंरान की लोर से होकर रास्ता दिये जाने की अवस्था में उक्त रेकर्डेड रास्ता कम दुरी पर स्थित है तथा उक्त स्थान से रास्ता दिये जाने की अवस्था में रास्ते हेतु कम आराजी की आवश्यकता पड़ती है। प्राथीगण ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उक्त आराजी खसरा नबंर 97 व 98 में से दोनों खसरा नबंरान की माठ पर दोनों खसरा नबंरान में से 10–10 फीट कुल 20 फीट का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 88 में आने–जाने हेतु रेकर्डेड आम रास्ता तक आपसी सहमति से रास्ता देने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से रास्ता देने से इन्कार कर दिया। इसलिये प्रार्थीगण की आराजी नवीन खसरा नबंर 88 रकबा 1.09 हैक्टर आने–जाने हेतु रेकर्डेड आम रास्ता (सीसी रोड़) से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी नवीन खसरा नबंर 97 रकबा 2.30 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 98 रकबा 3.17 हैक्टर में से उक्त दोनों खसरा नबंर के माठ पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 97 रकबा 2.30 हैक्टर में से 10 फीट व अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 98 रकबा 3.17 हैक्टर में से 10 फीट कुल 20 फीट चौड़ा रास्ता नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी खसरा नबंर 97 व अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 98 में से मार्क ए से बी स्थान तक लाल स्याही से दर्शित मार्क स्थान अनुसार व प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 88 तक दिया जाना अति आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 97 व 98 की आराजी में से दोनों खसरा नबंरान की माठ पर उपरोक्तानुसार रास्ता देने पर कम भुमि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि धारा 251क आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यक है। रास्ते के बिना प्रार्थी का आवागमन अवरूद्व होता है, बच्चे स्कुली शिक्षा से वंचित रहते है तथा कृषि उपकरण लाने ले जाने में प्रार्थीगण को भारी बाधा होती है। इसलिये उपरोक्त वर्णितानुसार रास्ता दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अदालत हाजा के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रतिकर देने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3, 5 ,6 के विरूद्व अनूपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी 1,2 व 4 की ओर जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर दिनांक 18.9.2019 को जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगणो के खातेदारी खेत खसरा नबंर 88 के उत्तर दिशा मे उनके स्वंय की खातेदारी की आराजी खसरा नबंर 86 स्थित है तथा उक्त आराजी खसरा नबंर 86 के उत्तर दिशा में खसरा नबंर 296 सार्वजनिक राजकीय गैर मुमकिन भूमि से होकर पक्की डामर सड़क जाखडी से मैत्रीवाड़ा जाने वाली मौके पर सेढों सेढ वैकल्पिक रास्ते के रूप में मौके पर आवागमन हेतु रास्ता उपस्थित है तथा सदियों से लगातार आज दिन तक प्रार्थीगण यही से आवागमन करते आ रहे है, तथा प्रार्थीगण खातेदार स्वंय की सुविधानुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए गलत रूप से रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना अपने अभिवचनों से प्रार्थना पत्र में साबित करने में पूर्णतया असमर्थ रहते हुए स्वंय की सुविधानुसार निजी स्वामित्व की भूमि खसरा नबंर 114 से अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नबंर 97 में से नया रास्ता धोषित करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि धारा 251क आर. टी. एक्ट के प्रावधानों के प्रतिकुल एवं विरूद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चा खारिज किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 04.09.2019 को जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मफा, नारणा वगैरा कौम कोली निवासी जाखडी के खसरा नम्बर 88 रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि के खातेदार है उक्त खसरे में पंहुचने के लिए इन्हे मार्ग की अत्यधिक आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नम्बर के आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग रास्ता खसरा नम्बर 114 रकबा 0.31 हेक्टेयर गै.मू. रास्ता मौके पर सीमेन्ट रोड़ बनाई हुई है। खसरा नम्बर 88 हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाला खसरा नम्बर 97 है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 172 मीटर चौडाई 4 मीटर क्षेत्रफल 0.0688 हैक्टेयर है। इसकी वर्तमान डी. एल. सी. दर 492910/-प्रति हेक्टेयर है। कुल राशि की दूगूनी राशि 67824/- बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्षादि, पहाड़ नाडी नहीं है।
5. उक्त जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.10.2019 को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की गई जिसमें निष्पक्ष अधिकारियों से मौका जांच रिपोट बनाने की प्रार्थना की गई। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दिनांक 04.09.2019 की जांच रिपोर्ट/मौका फर्द भू अभिलेख निरीक्षक/हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई थी। अतः नायब तहसीलदार रानीवाडा को स्वयं मौके पर जाकर आपत्ति के बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुये धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत जांच रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण कर दिनांक 27.10.2020 को जांच रिपोर्ट भिजवाई गई।
6. नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 26.10.2020 को जांच रिपोर्ट तैयार कि गई जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी जोत कृषि भूमि खसरा नबंर 88 रकबा 1.09 में अर्जन पुत्र कमा 1/12, केसीदेवी पत्नि वीरभाण 1/12, नारणा पुत्र वीरभाण 1/12, मफा पुत्र वीरभाण 1/12, रणछोडा पुत्र वीरभाण 1/12, श्रवण पुत्र वीरभाण 1/12, हंसा पुत्री वीरभाण 1/12 कौम कोली संयुक्त खातेदार है। आज से पुर्व उक्त खेत खसरा नबंर 88 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध था जो जाखडी-मैत्रीवाडा डामर सड़क से खसरा नबंर 296 किस्म गैर मुमकिन नदी में से होकर खसरा नबंर 82 व खसरा नबंर 86 में से खसरा नबंर 81 के लोर पर था। उक्त खसरा नबंर 82 व 86 मफा वगैराह कोली के संयुक्त भाईयों की खातेदारी में ही दर्ज है। यह कि वर्तमान में खसरा नबंर 82 जहां से रास्ता चलता था रेल्वे विभाग ने खसरा नबंर 296 में से खसरा नबंर 82 में प्रवेश का स्थान पर बाढ़ कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दिवार निकाली जा रही है जिससे आवागमन आंशिक बाधित हुआ हैं। प्रार्थीगणों में अपनी सुविधा अनुसार खसरा नबंर 114 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जो राजकीय रास्ता न होकर खातेदारो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। से होकर खसरा नबंर 97 व 98 के बीच की लोर को काटते हुए दोनों खसरा नबंरों में से हो चाहा गया है। उक्त खसरा नबंर 97 व 98 के बीच के लोर पर बड़े-बड़े वृक्ष खड़े है जिसे सभी वृक्षों को काटकर रास्ता दिया जाना उचित प्रतित नहीं लगता है।
7. प्रार्थीगण मफा वगैरा कोली की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नबंर 86 व 85 जिसमें खसरा नबंर 85 में बेरा खुदा हुआ है। खसरा नबंर 86 में अन्य संयुक्त खातेदारों की ढाणियों बनी हुई है। उक्त खसरा नबंरान में रास्ता जाखडी मैत्रीवाडा डामर सड़क से खसरा नबंर 296 गैर मुमकिन नदी में से [illegible] की संयुक्त खातेदारी खसरा नबंर 82 में से खसरा नबंर 86 में प्रवेश होता [illegible] है [illegible] नबंर 86 व 88 लगता हुआ है। जिसमें प्रवेश आसानी से हो सकता है। [illegible] द्वारा नियम 251क के तहत चाहा गया रास्ता खसरा नबंर 114 [illegible] से चाहा गया है जो खसरा नबंर 114

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

निजी खातेदार अनोपसिह अशुंमानसिंह वगैराह 30 खातेदारो के नाम मौजा जाखडी खाता संख्या 296 में संलग्न जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नबंर 98 व 97 में से जो खसरा नबंर 97 से खसरा नबंर 88 में बीच के लोर पर बड़े–बड़े वृक्ष खड़े है तथा खसरा नबंर 97 से 88 में प्रवेश पर 20 से 40 फीट उचाई धोरेनुमा जमीन पर माठ स्थित है। तथा माठ पर बड़े–बड़े वृक्ष खड़े है मौके पर दोनों की खातेदारी में असमाानता है तथा चाही गई रास्ता हेतु भूमि समतल नहीं है।

8. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया । बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 97–98 के मध्य से रास्ते की मांग की गई है जबकि इन्हे पता है कि रास्ते में बडे–बडे पैड़ खडे है। जिस रास्ते को इन्होने सार्वजनिक रास्ता बताया है, वो खसरा नम्बर 114 खातेदारी रास्ता है, जिसके खाताधारकों को नहीं सुना गया। रास्ते की निकटतम दूरी भी खसरा नम्बर 97 में से नही होकर खसरा नम्बर 98 में से है। प्रार्थी के अन्य खसरा 82, 84, 86 भी है जिनमें से होकर प्रार्थी नदी में से होते हुए आवागमन करता है। बाढ़ बचाव के कार्य रेलवे विभाग ने करवाये है ये कार्य निरन्तर होते रहते है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी से अप्रार्थी की खातेदारी में 40 फीट की ऊंचाई का अन्तर है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि हमें रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। जो कि तहसीलदार रानीवाडा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.10.2019 में भी बताया है। हमने खसरा नम्बर 97–98 की माठ पर से रास्ता मांगा था तहसीलदार रानीवाडा ने लघूतम होने से खसरा नम्बर 97 में से रास्ता प्रस्तावित किया है जो हमें स्वीकार है। हमें माठ के पेड़ो को काटने की आवश्यकता नही है। खसरा नम्बर 114 गै.मू. रास्ता है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी सडक बनाया गया है अतः यह एक आम रास्ता है हमारे अन्य खसरों से जाने का रास्ते में बाढ़ बचाव का कार्य रेलवे द्वारा किया गया है जिसमें रास्ता बाधित हुआ है, एवं आगे गै.मू. नदी में जाता है। अतः हमें रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है ताकि हम बाहरमास निर्बाध आवागमन कर सके। खसरे की उंचाई में अन्तर होने का कही भी धारा 251 ए प्रतिबंधित नहीं करती है।

9. उभय पक्षकरान् की बहस सुनकर मनन किया गया। जिसमें प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता प्रतीत होने से एवं खसरा नम्बर 114 गै.मू. रास्ता दर्ज है। जिस पर सी.सी. सड़क भी बनी हुई है। प्रार्थी के खसरा से नजदीकतम होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

10. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 88 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 97 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की खसरा नम्बर 97 में लम्बाई 172 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 688 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 114 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। खसरा नम्बर 97 की डी.एल.सी दर 492910 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर [illegible] 8 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर से राशि गुणा 2) के डिमाण्ड [illegible] 2 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर [illegible] रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी [illegible] के नाम जारी करवा कर पेश करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.09.2019 मे प्रस्तुत मौका प्रति अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 97 में लम्बाई 172 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 668 वर्गमीटर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested